



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241075
CG-DL-E-14122022-241075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5601]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/ अग्रहायण 22, 1944

No. 5601]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/ AGRAHAYANA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5837(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2524(अ) तारीख 31 मई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में "नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी. 238.200 (O/o- तहसीलदार, नबरंगपुर, जिला- नबरंगपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन/ छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13 अगस्त 2022 को "प्रगतिवादी" और "उड़ीसा पोस्ट" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतःअब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी. 238.200 (O/o- तहसीलदार, नबरंगपुर, जिला - नबरंगपुर)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: नबरंगपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नबरंगपुर प.स				
	गांव का नाम: भतरा				
1	812	सरकारी	डंगर /१	0.0018	आबाद जोग्य अनाबादी (८१२)
			कुल	0.0018	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-SBP, Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D5]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5837(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) vide S.O. No. 2524 (E) dated 31st May 2022, the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor on the stretch of land from Km. 123.210 to Km. 238.200 (O/o- Tahasildar, Nabarangpur Dist - Nabarangpur) in the District of NABARANGPUR in the State of ODISHA;

And whereas, the substance of the said notification has been published in “Pragatibadi” and “Orissa Post” Newspaper both dated 13th August 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor in the stretch of land from Km. 123.210 to Km. 238.200 in the Newly Proposed (O/o- Tahasildar, Nabarangpur, Dist - Nabarangpur) in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: NABARANGPUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nabarangapur P.S				
	Village: Bhatara				
1	812	Government	Dangara /1	0.0018	Aabada Jogya Anabadi 812
			TOTAL	0.0018	

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-SBP, Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D5]

RAJESH GUPTA, Director